

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....

दिनांक.....

लोक सूचना

अधोहरताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरानामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सरस्वती विहार-ए के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।


उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरितों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुनर्ग्रहण योग्य है।

अतः कहीं नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं संपठित राजस्थान अभिवृत्ति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्याप्त कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हल खसरा नम्बर	एकबा (हेक्टे.)	स्वामित्व
ग्राम श्रीरामपुरवास तहसील जयपुर	1/2	0.3415	मंगल पुत्र लादया हि पूर्ण जाति बलाई सा.देह खातेदार
	34	0.0379	
	34/3	0.1391	
	37/1	0.0126	
	38/3	0.0632	
	40/2	0.2529	
	41/2	0.1518	
	1/1	0.3415	सामरवरूप पुत्र लादया हि. पूर्ण जाति बलाई सा.देह खातेदार
	34/1	0.0253	
	40/3	0.2150	
	41/3	0.1265	
	34/5	0.0632	छोटु पुत्र लादया हि. 1/5 जाति बलाई सा.देह खातेदार मूरा पुत्र लादया हि. 1/5 जाति बलाई सा.देह खातेदार मंगल पुत्र लादया हि. 1/5 जाति बलाई सा.देह खातेदार रुधनाथ पुत्र लादया हि. 1/5 जाति बलाई सा.देह खातेदार सामरवरूप पुत्र लादया हि. 1/5 जाति बलाई सा.देह खातेदार
	38/1	0.0632	
	39	0.0253	
	1/3	0.3415	रघुनाथ पुत्र लादया हि. पूर्ण जाति बलाई सा.देह खातेदार
	38	0.1012	
	40	0.4047	
	41	0.1518	
	1/4	0.3541	छोटु पुत्र लादया हि पूर्ण जाति बलाई सा.देह खातेदार
	37	0.0253	
	38/2	0.1518	
	40/1	0.3162	
	41/1	0.1770	

नगरीय विकास, आवासन एवं रवायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविदि/ अगियान/2021/म.म.झा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इरा नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञापित प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. 312, पार्किंग मध्य, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्याप्त कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया


प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-12 जविप्रा, जयपुर




जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं,
जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.सं.सं./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा. जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	जगतार सिंह पुत्र स्व.श्री तेजा सिंह	तेजा सिंह पुत्र भगत सिंह	ए/9/16	40 व. ग.	जविप्रा	आटोमोबाईल नगर योजना	नाम हस्तानान्तरण एवं लीजडीड हेतु	मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा एवं रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र


उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
उपायुक्त (जोन-10)
जयपुर जविप्रा, जयपुर
जयपुर

जनसम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-10/2023/डी-1383.

दिनांक: 03/07/23




जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा. जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	राजेन्द्र सिंह सिसोदिया पुत्र श्री सीताराम सिसोदिया	गणपत लाल मौर्य पुत्र भैरु	106, 106ए	80 80	लक्ष्मी नगर	लक्ष्मी वाटिका डी	लीजडीड हेतु	अपंजीकृत इकरारनामा


उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
उपायुक्त (जोन-10)
जयपुर जविप्रा विकास प्राधिकरण
जयपुर

जनसम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-10/2023/डी-1384,
दिनांक: 03/07/23



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

विषय-आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री मनोज चौधरी पुत्र श्री राम चन्द्र चौधरी	श्री मनोज चौधरी पुत्र श्री राम चन्द्र चौधरी	20	मित्र गृ.नि.स.स.	शिवपुरी	फ़िहोल्ड लीजडीड	सदस्यता सूचल में नाम भिन्न होने के आधार पर
2	श्री ओम प्रकाश मीना पुत्र श्री जगदीश नारायण मीना	श्री हरीनारायण, श्री हरसहाय मीना पुत्रान श्री हीरालाल मीना	9/BO /3A	रिंग रोड परियोजना	रिंग रोड परियोजना	नामहस्तांतरण	अपंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर बेचान के क्रम में
3	श्री नरेश मुकुट सिंह राजावत पुत्र स्व. श्री गजेन्द्र सिंह	श्री संजय शर्मा पुत्र श्री प्रभू नारायण	162	विकास भवन गृ.नि.स.स.	रविन्द्र नगर ए	लीजहोल्ड से फ़िहोल्ड	अपंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर बेचान के क्रम में

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जविप्रा/जोन-9/2023/ क्रमांक/डी- 2983
दिनांक 30/6/2023

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सिकिल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फ़ैक्स- +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-1491

दिनांक 03-7-23

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति का नाम/निजी खातेदारी/जविप्रा	योजना का नाम	विवरण
1.	170	श्री अनन्त महन्त पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा	मुहाना गृ.नि.स.स. लि.	सचिवालय नगर	लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा हेतु
2	14/OD/S/210	श्री नीलकमल जैन पुत्र श्री धनराज पांडेया	जविप्रा	रिंग रोड योजना	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
3	14/ID//246	श्री नीलकमल जैन पुत्र श्री धनराज पांडेया	जविप्रा	रिंग रोड योजना	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

जयपुर विकास प्राधिकरण जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।



क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-1308

आमसूचना

प्रशासन शहरी के संग अभियान-2023 के तहत जोन-7 के क्षेत्राधिकार में स्थित विकास समिति द्वारा प्रस्तुत (सुमोटो) की योजना भूरा-पटेल नगर-बी में विकास समिति के द्वारा प्रस्तुत भूखण्डधारियों की सूची एवं अन्य सबूतों के आधार पर पट्टा जारी किये जाने का आवेदन किया गया है। भूरा-पटेल नगर-बी के भूखण्डधारियों की सूची निम्नानुसार है:-


क्र.सं	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या
1	दुर्गाप्रसाद यादव	01
2	राधेश्याम यादव	02
3	बाबूलाल यादव	03
4	महेन्द्र यादव एवं रवि यादव	04
5	लालचन्द्र यादव	05
6	लालचन्द्र यादव	06
7	दुर्गाप्रसाद यादव	07
8	राधेश्याम यादव	08
9	दुर्गाप्रसाद यादव	09
10	राधेश्याम यादव	10
11	लालचन्द्र यादव	11
12	रोशन, लाल एवं कमलेश यादव	12
13	महेन्द्र यादव एवं रवि यादव	13
14	जितेन्द्र यादव एवं गोवर्धन यादव	14
15	भगवान सहाय यादव	15
16	लेखराज यादव	16
17	लल्लूराम यादव	17
18	उमराव यादव व बलवीर यादव	18
19	जितेन्द्र यादव एवं गोवर्धन यादव	19
20	सुरेश यादव	20
21	लल्लूराम यादव	21
22	रवि यादव	22
23	राजेन्द्र यादव	23
24	मूलचन्द्र यादव	24
25	बलवीर यादव	25
26	जितेन्द्र यादव	26
27	गोवर्धन यादव	27
28	प्रहलाद यादव	28
29	ताराचन्द्र यादव	29
30	लल्लूराम यादव	30
31	लेखराज यादव	31
32	लल्लूराम यादव	32
33	उमराव यादव	33



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

अतः उपरोक्त के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था व हितधारी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इस आम सूचना प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस की अवधि में प्राधिकरण के कमरा नंबर-219 में दर्ज करावें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में जविप्रा नियमानुसार एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।


उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में करवा कर अद्यो हस्ताक्षरकर्ता को सूचित करवाने का श्रम करावें।


उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी- 2377

दिनांक: 27/01/23


जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री संदीप गर्ग	जी.एफ. 102	जविप्रा	झालाना फेज-III	पट्टा	अंपजीकृत इकरारनामा

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी-2379


दिनांक: 27/6/23

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती शान्ति देवी	डी-52	जविप्रा	झालाना फेज-1A	पट्टा	अंपजीकृत इकरारनामा


उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी- 2411


दिनांक:- 3/7/23

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती मन्दोरी देवी	ए-63	जविप्रा	झालाना फेज-III	पट्टा	मुख्तयार नागा आम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र
2.	1. श्रीमती सुमन देवी 2. आरती नरणिआ 3. उषा नरणिआ 4. पवन नरणिआ 5. आकाश नरणिआ	डी-28	जविप्रा	झालाना फेज-III	पट्टा	मृत्यु प्रमाण पत्र


उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी- 2412


दिनांक: 27/7/23

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती नुपुर बांकलीवाल	57	महा. गृ.नि.स.स. लि.	विवेक विहार	पट्टा	सदस्थता सूची में नाम अलग होने के कारण


उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू ओ. नोट

विषय:- प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत नियमन शिविर के सम्बन्ध में।

आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री विजय दीक्षित पुत्र श्री घनश्याम दीक्षित	श्री रामजीलाल पुत्र श्री हरफूल सिंह	एस-8	370.00	मोती भवन गृ.नि.स.स.	4एस	लीजडीड जारी करने हेतु	अपंजीकृत दस्तावेजात् होने के सम्बन्ध में।
2	सीता देवी पत्नी श्री विनोद कुमार	गिरधारी लाल मिश्र पुत्र श्री रामनाथ मिश्र	63ए पूर्वी भाग	110.40	गुलाबबाडी गृ.नि.स.स.	जयनगर	लीजडीड जारी करने हेतु	उपविभाजित भाग की लीजडीड जारी करने के सम्बन्ध में।

उपायुक्त जोन-6
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावे।

यू.ओ.नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.जोन-06/23/डी- 200

दिनांक:- 30.6.23
उपायुक्त जोन-6
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- (+91-141-2570256) : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशन:(7118):

ई-मेल : (rajasthan.gov.in)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय:- प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 के तहत नियमन शिविर के सम्बन्ध में।

आम सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के बट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री राजकुमार सैनी पुत्र श्री गोविन्द नारायण सैनी	श्रीमती संगीता कुमावत पत्नी श्री अशोक कुमावत	30	84.00 व.ग.	प्रागपुरा गृनिसस	श्री वैष्णव विहार	लीजडीड जारी करने हेतु	समिति द्वारा जारी सदस्यता सूची मे नाम अंकित नही के सम्बन्ध मे।
2	खातुन पत्नी मोहम्मद सालिम	हरदेव एवं देवी लाला पुत्रान् श्री किशना	09	40.8 व.ग.	निजी खातेदारी	सीताबाडी योजना ग्राम खसरा नं. 614	लीजडीड जारी करने हेतु	अनुमोदित योजना मानचित्र मे भूखण्ड सृजित नही होने के सम्बन्ध मे।

उपायुक्त जोन-6

जविप्रा, जयपुर, उपायुक्त जोन-6
जयपुर विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपि- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र मे कराने का प्रयत्न करावे।

यू.ओ.नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.जोन-06/23/डी- 2015

दिनांक:- 30.6.23

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-2570256.) : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशन:(7118);

ई-मेल: (rajasthan.gov.in)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा / उपा / जोन-5 / 2023 / डी-1487

दिनांक :- 3.7.23

आम सूचना

बीपीसी (एलपी) की 332वीं बैठक दिनांक 06.04.2023 में समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त जोन के प्रस्ताव अनुसार खड़ोलिया विहार योजना (भूखण्ड संख्या 1 से 11 तक) में जोनल विकास योजना-04 की 18 मीटर सड़क के समीप स्थित योजना जनकपुरी-बी में किये गये कमिटमेंट के आधार पर जनकपुरी-बी से सवाईमाधोपुर रेलवे लाईन के पूर्व में स्थित 30 मीटर जोनल विकास योजना सड़क तक की रोड़ को 60 फीट से 30 फीट किये जाने का निर्णय लिया गया है।


उक्त संशोधन हेतु जविप्रा अधिनियम की धारा 25 (3) के तहत आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। अतः उक्त संशोधन के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, हितधारी, संस्था को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिवस में प्रस्तुत कर दें। नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

सचिव,
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित करें।

उपायुक्त जोन-5



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन-5/2023/डी-1487

दिनांक :- 3-7-23

आम सूचना


बीपीसी (एलपी) की 332वीं बैठक दिनांक 06.04.2023 में समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त जोन के प्रस्ताव अनुसार खड़ोलिया विहार योजना (भूखण्ड संख्या 1 से 11 तक) में जोनल विकास योजना-04 की 18 मीटर सड़क के समीप स्थित योजना जनकपुरी-बी में किये गये कमिटमेंट के आधार पर जनकपुरी-बी से सवाईमाधोपुर रेलवे लाईन के पूर्व में स्थित 30 मीटर जोनल विकास योजना सड़क तक की रोड़ को 60 फीट से 30 फीट किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त संशोधन हेतु जविप्रा अधिनियम की धारा 25 (3) के तहत आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। अतः उक्त संशोधन के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, हितधारी, संस्था को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिवस में प्रस्तुत कर दें। नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

— sd —
सचिव,
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियाँ इस कार्यालय को प्रेषित करें।


उपायुक्त जोन-5



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-5/2023/डी-1486

दिनांक: 3-7-23

आम सूचना

निम्न आवेदकों-द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	ऑन लाईन आवेदन सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (वर्ग गज में)	गृ. नि. स. स. /निजी खातेदारी /जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	-	श्री जयसिंह राव पुत्र श्री चन्दगीराम राव	श्री चन्दगीराम राव पुत्र श्री टोडाराम	117	580.07	माधव नगर	रेल नगर	नियमन एवं पट्टा विलेख	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं वसीयतनामा
2.	-	श्री नेत्रपाल सिंह पुत्र श्री हुंकारी सिंह	श्रीमती सोनवती पत्नी श्री नेत्रपाल सिंह	106 ए	126.00	श्री महाराजा	प्रेम नगर	नियमन एवं पट्टा विलेख	मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र
3.	-	श्रीमती अनिता लोढा पत्नी श्री मनोज जैन	श्रीमती सुशीला चौधरी पत्नी श्री उदयवीर सिंह	46	370.00	माधव नगर	रेल नगर	नियमन एवं पट्टा विलेख	अपूर्ण दस्तावेज
4.	-	श्री पीयूष मेहता पुत्र श्री देवेन्द्र मेहता	श्रीमती सुशीला चौधरी पत्नी श्री उदयवीर सिंह	46 (पूर्वी भाग)	210.00	माधव नगर	रेल नगर	नियमन एवं पट्टा विलेख	अपूर्ण दस्तावेज
5.	-	श्रीमती अनिता लोढा पत्नी श्री मनोज जैन	श्रीमती सुशीला चौधरी पत्नी श्री उदयवीर सिंह	46 (पश्चिमी भाग)	170.00	माधव नगर	रेल नगर	नियमन एवं पट्टा विलेख	अपूर्ण दस्तावेज


उपायुक्त जोन-5

प्रतिलिपि:-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-5

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-2563234} ; ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8250} ; फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू ओ. नोट

विषय:- विज्ञापित प्रकाशन दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में करवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	विज्ञापित प्रकाशन का कारण
1	श्रीमती जमना देवी पत्नी श्री मूलचन्द कुमावत	सेडूराम पुत्र श्री धन्नाराम बलाई	बी-227	50.00		मुरलीपुरा	नियमन	भूखण्ड पर ताला लगा हुआ है।
2	श्री श्रवण लाल पुत्र श्री नारायण लाल	श्रीमती तीजा देवी पत्नी श्री नारायण लाल	6	95.84	सुभाष सिंधी	विकास नगर	लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड	उत्तराधिकार के आधार पर

जन सम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/जोन-6/23/डी-2030 दिनांक.03.06.2023

उपायुक्त जोन-6
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त जोन-6
जविप्रा, जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - {+91-141-सम्बन्धित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {सम्बन्धित कार्यालय}; फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : {सम्बन्धित अधिकारी का ईमेल}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2023/डी- (467)

दिनांक 30-6-23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री.मंगलम कटेवा पुत्र श्री संजीव कटेवा	श्रीमती रूकमणी देवी पत्नी श्री मोहन लाल	6एच/1/सी	371.50 व. मी.	जविप्रा	विद्याधर नगर	नाम हस्तान्तरण /फ्री होल्ड पट्टा	रजिस्टर्ड उपहार पत्र इत्यादि

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त जोन-2

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फ़ैक्स +91-141-2574555

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : LU2012/JDA/2023-24/102665

दिनांक : 03.07.2023

लोकसूचना

श्री राजेश कुमार बैरवा पुत्र श्री जीतावाला बैरवा, निवासी-गढलियां जिला दौसा, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का कॉमर्शियल प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टर)
1.	सिरसी, जयपुर (जयपुर)	श्री राजेश कुमार बैरवा पुत्र श्री जीतावाला बैरवा	2444 / 487	249.00	0.1249
				कुल	0.1249

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाश के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 03.07.2023 को जारी की गयी

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : LU2012/JDA/2023-24/102663

दिनांक : 03.07.2023

लोकसूचना

श्री राजेश कुमार बैरवा पुत्र श्री जीतावाला बैरवा, निवासी-गढलियां जिला दौसा, जयपुर।


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्ट.)
1.	सिरसी, जयपुर (जयपुर)	श्री राजेश कुमार बैरवा पुत्र श्री जीतावाला बैरवा	2446 / 487	420.00	0.0420
			2454 / 492	218.00	0.0218
			2452 / 490	966.00	0.0966
			2450 / 488	341.00	0.0341
				कुल	0.1945

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाश के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 03.07.2023 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर